2083

(42) (198)

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub:- Diversion of 7.7357 hectare (instead of 4.7267 ha.) of additional forest land in favour of M/s Gangdari Hydro Power Private Ltd, Gamba House, South End, Lane-IV, Phase-I, New Shimla for the construction of 12MW Jogni Hydro Electric Project and laying of 66KV Transmission line, within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9–HPB406/2010 – CHA दिनांक 29-07-2013** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.3072 hectare of additional वन भूमि को M/s Gangdari Hydro Power Private Ltd, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम वृक्ष कटवायें जायेंगे जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार **दो सौ अट्ठारह** वृक्षों से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF Bahlidhar में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 34,50,475/–(**चौंतीस लाख पचास हजार चार सौ पिचहत्तर मात्र)** की राशि से कुल **15.05** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

4 राज्य सरकार द्वारा 1,98,22,100/रूपये की राशि से अनुमोदित CAT Plan, implement की जायेगी जैसा कि प्रयोत्ता एजेंसी ने पूर्व में CAT Plan की राशि जमा करवाई गई थी।

5 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरंता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।

6 सीमेंट कंकरीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम सख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोत्ता एजैंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।

7 प्रयोत्ता एजैंसी व वन विभाग द्वारा भूमि सुधार योजना कार्यान्वित की जायेगी। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है।

8 मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुश्ता–दिवार (Retaining wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नही गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

5/FCA
APCCF (FCA)
2121
5/8/13
PCCF
2/8

10 The User Agency shall obtain the Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.

11 No labour camp shall be established on the forest land.

12 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest area.

13 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.

14 The User Agency shall provide free water for the forestry related projects.

15 प्रयोत्ता एजैसी 6 मीटर से अधिक मार्गाधिकार का इस्तेमाल नही करेगी और 6 मीटर मार्गाधिकार से बाहर कोई भी वृक्ष कांट छांट नेही किया जायेगा। Stringing के दौरान भी 6 मीटर से अधिक मार्गाधिकार का इस्तेमाल नही करने दिया जायेगा।

16 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

17 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Shimla.

18 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated,Shimla-171001 the, 2-8-13.

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt, Shimla, Himachal Pradesh .